

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर 2015—कार्तिक 26, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015
सूचना

क्र. डी-15-46-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (उन्तीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मंडी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करना प्रस्तावित करती है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों को, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिन का अवसान होने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रस्तावित संशोधन

उक्त नियमों में,

- (एक) खण्ड (क) में, शब्द “एक करोड़ पचास लाख रुपये” के स्थान पर, शब्द “तीन करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक” स्थापित किए जाएः;
- (दो) खण्ड (ख) में, शब्द “पिछहतर लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “दो करोड़ से अधिक तथा एक करोड़ पचास लाख के स्थान पर, शब्द “तीन करोड़ पचास लाख रुपये” स्थापित किए जाएः;
- (तीन) खण्ड (ग) में, शब्द “चालीस लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “एक करोड़ रुपये से अधिक” तथा “पिछहतर लाख रुपये” के स्थान पर, शब्द “दो करोड़ रुपये” स्थापित किये जाएः;

(चार) खण्ड (घ) में, शब्द “चालीस लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “एक करोड़ रुपये” स्थापित किये जाएः;

(पांच) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाएः अर्थात्:—

“परन्तु पूर्व में वर्गीकृत कोई भी मंडी समिति इस नियम के संशोधन के प्रारंभ होने के परिणाम स्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के लिये निम्नतर वर्ग में वर्गीकृत नहीं की जाएगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. डी-15-46-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंबंधक अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव

Bhopal, the 17th November 2015
Notice

No. D-15-46-2004-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (XXIX) of sub-section (2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby proposed to be amended in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Vargikaran) Niyam, 1981, and published as required by sub-section (1) of Section 79 of the aforesaid Adhiniyam for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of 15 days from the date of publication of this Notice in the “Madhya Pradesh Gazette”.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said Draft Rules before the expiry of period specified above will be considered by the State Government.

PROPOSED DRAFT RULES

In the said rules;—

(1) In rule 3:—

- (i) in clause (a), for the words “rupees one crore fifty lakhs”, the words “more than rupees Three crore fifty lakhs” shall be substituted;
- (ii) in clause (b), for the words “rupees seventy five lakhs”, the words “more than rupees Two crore” and for the words “rupees one crore fifty lakhs”, the words “rupees Three crore Fifty lakhs” shall be substituted;
- (iii) in clause (c), for the words “rupees forty lakhs”, the words “more than rupees one crore” and for the words “rupees seventy five lakhs”, the words “rupees Two crore” shall be substituted;
- (iv) in Clause (d), for the words “rupees forty lakhs”, the words “rupees one crore” shall be substituted;
- (v) for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

Provided that no Market committee classified earlier shall consequent upon the commencement of amendment of this rule be classified in a lower class for the current financial year.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.